1|9

न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकदमा नम्बर :—107 / 2021 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2021 / 186)

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर

————— प्रार्थी

बनाम

शरीफ पुत्र जब्बर खांन उम्र 60 वर्ष निवासी मो. कोटला पुराना शहर धौलपुर

—————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : —

1 — प्रार्थी की ओर से :— दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)

2 — अप्रार्थी की ओर से :— श्री आरिफ हमीद खांन एडवोकेट

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (रा0ज0)

निर्णय ***दिनांक 27.09..2022***

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्देशान में दिनांक 20.7.2021 को कमठान नगर पटपरा रोड धौलपुर में स्थित मकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध गैस रिफिंलिग उपयोग किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर जांच करने पहुचे जिसमें मौके पर उक्त मकान में शरीफ पुत्र जब्बर खांन उम्र 60 वर्ष निवासी मो. कोटला पुराना शहर धौलपुर अवैध रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। उक्त मकान को शरीफ द्वारा श्री आजाद पुत्र शरीफ से किराये पर लिया जाना बताया। मौके पर 12 घरेलू गैस सिलेण्डर (10 भरे हुए सील पैक एण्डेन कम्पनी और 2 खाली एचपी कम्पनी के) तीन छोटे खाली गैस सिलेण्डर मय 2 पाइपनली तथा एक गैस रिफरिंग करने वाली मोटर पाई गई जिन पर व्यावसायिक ऑटो में गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों से ऑटो में गैस भरा जाना स्वीकारा गया। अप्रार्थी द्वारा घरैलू गैस सिलेण्डरों का व्यापारिक कार्यो में उपयोग किये जाने के संबध में पूछताछ करने पर कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध कराये। मौके पर उक्त 15 घरैलू गैस सिलेण्डरों का वजन कराया गया

जिसका कुल शुद्व गैर भार 145.2 किलोग्राम पाया गया। उक्त तीन छोटे खाली गैस सिलेण्डर मय 2 पाइपनली तथा एक गैर रिफलिंग करने वाली मोटर को जब्त–ए सरकार किया जाकर अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखे जाने हेतु मैसर्स शिवेन गैस ऐजेन्सी धौलपुर के प्रतिनिधि श्री साजिद खांन पुत्र श्री नौसाद खांन जाति मुस्लिम निवासी बडापीर पुराना शहर धौलपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक प्रयोग में लिया जाना स्पष्ट होता है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (नियंत्रण) आदेश 2001 का उल्लघंन पाया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 12 घरेलू गैस सिलेण्डर (10 भरे हुए सील पैक एण्डेन कम्पनी और 2 खाली एचपी कम्पनी के) तीन छोटे खाली गैस सिलेण्डर मय 2 पाइपनली तथा एक गैस रिफरिंग करने वाली मोटर को राजसात करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मूल फर्द मौका, फर्द अभिग्रहणनामा मय तलपटटी, फर्द सुपुर्दगीनामा मय तलपटटी, नजरीनक्शा पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के समबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री आरिफ हमीद खांन एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में जब्तशुदा सामान सिलेण्डर व अन्य सामान का प्रार्थी उपयोग नहीं करता है ना ही उक्त जब्तशुदा सामान से प्रार्थी का कोई सम्बध सरोकार है। अतः उक्त प्रकरण को विधि सम्मत निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वक्त जांच अप्रार्थी ने घरेलू गैस की अवेध रिफिलिंग ऑटो में भरना स्वीकार किया है। मौके पर अप्रार्थी से घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग के सबंध में पूछताछ करने पर कोई सन्तोषप्रद जबाव नहीं दिया और न ही कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत कर सका। मौके पर जब्त धरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान अप्रार्थी का ही है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवित पैट्रोलियम गैस (नियंत्रण) आदेश 2001 का उल्लंघन किया गया है उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर जब्त 12 घरेलू गैस सिलेण्डर (10 भरे हुए सील पैक एण्डेन कम्पनी और 2 खाली एचपी कम्पनी के) तीन छोटे खाली गैस सिलेण्डर मय 2 पाइपनली तथा एक गैस रिफरिंग करने वाली मोटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा सामान सिलेण्डर व अन्य सामान का प्रार्थी उपयोग नहीं करता है ना ही उक्त जब्तशुदा सामान से प्रार्थी का कोई सम्बध सरोकार है। प्रकरण को विधि सम्मत निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.07.2021 को घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग की जांच के दौरान मौके पर अप्रार्थी से अवैध रिफिलिंग स्थल पर 12 घरेलू गैस सिलेण्डर (10 भरे हुए सील पैक एण्डेन कम्पनी और 2 खाली एचपी कम्पनी के) तीन छोटे खाली गैस सिलेण्डर मय 2 पाइपनली तथा एक गैस रिफरिंग करने वाली मोटर उपलब्ध पाये जिनका प्रयोग घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग में किया जाना अप्रार्थी ने फर्द मौका में स्वीकार किया है जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी ने उक्त मकान को किराये पर लेना बताया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों से ऑटो में गैस भरा जाना स्वीकारा गया है। दौराने पूछताछ एवं जॉच अप्रार्थी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सका ना ही कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किये। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग ऑटो रिक्शाओं में अवैध रिफिलिंग का कार्य करता है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (नियत्रंण) आदेश 2001 का उल्लंघन है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर (10 भरे हुए सील पैक एण्डेन कम्पनी और 2 खाली एचपी कम्पनी के) तीन छोटे खाली गैस सिलेण्डर मय 2 पाइपनली तथा एक गैस रिफरिंग करने वाली मोटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। जिला रसद अधिकारी आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर
अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)